

## **Number of Approved Colonies**

**\*52 Sh. Satya Prakash (Pataudi).: Will the Urban Local Minister be pleased to state:-**

- a) the number of colonies approved in Municipal Corporation, Manesar and Municipal Council, Pataudi Mandi;
- b) the status of villages which are merged in abovesaid Municipal Corporation and Municipal Council regarding approved property extended Lal Dora; and
- c) the number of maps approved in Municipal Corporation, Manesar and Municipal Council, Pataudi Mandi from 20.12.2020 to 30.06.2023 ?

**Dr. Kamal Gupta, Urban Local Bodies Minister**

Sir, a statement is laid on the Table of House.

**Statement in Starred Assembly Question No. 52, August, 2023**

- a) The detail of the colonies approved in Municipal Corporation Manesar, Municipal Council Pataudi Mandi and earlier Municipal Committee Haily Mandi are as under:

<b>Sr. No.</b>	<b>Name of MC</b>	<b>Details</b>
1.	Municipal Corporation Manesar	3 colonies were declared as Civic Amenities and Infrastructure Deficient Area vide notification dated 25.07.2023.
2.	Municipal Council Pataudi Mandi	8 colonies were regularised in the year 2004. 1 colony was declared as Civic Amenities and Infrastructure Deficient Area on 19.02.2014 and 1 colony was declared as Civic Amenities and Infrastructure Deficient Area on 28.09.2018.
3.	Municipal Committee Haily Mandi	6 Colonies were declared as Civic Amenities and Infrastructure Deficient Area on 15.04.2014 and 1 colony was declared as Civic Amenities and Infrastructure Deficient Area on 28.09.2018.

It is pertinent to mention here that the Municipal Committee Haily Mandi was merged with the Municipal Council Pataudi Mandi vide notification dated 11.07.2023.

- b) Areas under Abadi Deh of the villages merged in Municipalities are considered as regularized in situ and builtup areas outside Abadi Deh of the villages merged in Municipalities are being taken up for declaration as Civic Amenities and Infrastructure Deficient Area.
- c) The details of building plans approved from 20.12.2020 to 30.06.2023 are as under;

<b>Sr. No.</b>	<b>Name of MC</b>	<b>Number of building plans approved in CLU Cases</b>	<b>Number of building plans approved by the municipalities through Haryana Online Building Plan approval System/Manually</b>
1.	MC Manesar	6	-
2.	MC Pataudi	1	146
3.	MC Haily Mandi (which is now merged into the Municipal Council Pataudi Mandi)	3	104

## स्वीकृत कॉलोनियों की संख्या

\*52 श्री सत्य प्रकाश (पटौदी):

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएं कि:—

- (क) नगर निगम, मानेसर तथा नगर परिषद, पटौदी मंडी में स्वीकृत कॉलोनियों की संख्या कितनी है;
- (ख) स्वीकृत सम्पत्ति विस्तारित लाल डोरा के संबंध में उपरोक्त नगर निगम तथा नगर परिषद में विलय किए गए गांवों की स्थिति क्या है; तथा
- (ग) 20.12.2020 से 30.06.2023 तक नगर निगम, मानेसर तथा नगर परिषद, पटौदी मंडी में स्वीकृत नक्शों की संख्या कितनी है?

डॉ कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री,

श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

तारांकित प्रश्न संख्या 52, अगस्त 2023, का विवरण

क) नगर निगम, मानेसर, नगर परिषद पटौदी और पूर्ववर्ती नगर समिति हेली मंडी में स्वीकृत कॉलोनियों का विवरण निम्न प्रकार से है:

क्र० सं०	नगरपालिकाओं का नाम	विवरण
1	नगर निगम मानेसर	अधिसूचना दिनांक 25.07.2023 द्वारा तीन कालोनियों को नागरिक सुखसुविधाएँ तथा अपूर्ण अवसंरचना वाले क्षेत्र घोषित किये गये।
2	नगर परिषद पटौदी मंडी	वर्ष 2004 में 8 कालोनियों को नियमित किया गया। 1 कालोनी 19.02.2014 को नागरिक सुखसुविधाएँ तथा अपूर्ण अवसंरचना वाला क्षेत्र घोषित किया गया और 1 कालोनी को 28.09.2018 को नागरिक सुखसुविधाएँ तथा अपूर्ण अवसंरचना वाला क्षेत्र घोषित किया गया।
3	नगर पालिका हेली मंडी	6 कालोनियों 15.04.2014 को नागरिक सुखसुविधाएँ तथा अपूर्ण अवसंरचना वाले क्षेत्र घोषित किया गया और 1 कालोनी को 28.09.2018 को नागरिक सुखसुविधाएँ तथा अपूर्ण अवसंरचना वाला क्षेत्र घोषित किया गया।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि नगरपालिका हेली मंडी को अधिसूचना दिनांक 11.07.2023 के माध्यम से नगर परिषद पटौदी मंडी में विलय कर दिया गया है।

(ख) नगर पालिकाओं में विलय किये गये गांवों के लाल डोरा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को यथास्थान नियमित माना जाता है और नगर पालिकाओं में विलय किये गये गांवों के लाल डोरा के बाहर के निर्मित क्षेत्रों को नागरिक सुखसुविधाएँ तथा अपूर्ण अवसंरचना वाला क्षेत्र घोषित करने के लिए लिया जा रहा है।

20.12.2020 से 30.06.2023 तक स्वीकृत भवन योजनाओं की स्वीकृति का विवरण निम्नलिखित है;

क्र० सं०	नगरपालिकाओं का नाम	सीएलयू मामलों में भवन योजनाओं की स्वीकृति की संख्या	हरियाणा ऑनलाइन भवन योजना स्वीकृत प्रणाली के माध्यम/हस्तचालित द्वारा स्वीकृत भवन योजनाओं की संख्या
1	नगर निगम मानेसर	6	—
2	नगर परिषद पटौदी मंडी	1	146
3	नगर पालिका हेली मंडी (जो अब नगर परिषद पटौदी मंडी में विलय हो गया है)	3	104